>

Title: Need to amend Drugs and Cosmetics Act in the Country.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, मैं उत्तर प्रदेश में खुदरा रिटेल की दवा संचालित करने वाली फारमेसिस्ट की अनिवार्यता को समाप्त करने के संबंध में कहना चाहता हूं। जब हमारा देश गुलाम था तब 1940 का काला कानून ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स अधिनियम के रूप में लाया गया था। पूरे देश में चार से पांच लाख रिटेल दुकानदार हैं और केवल यूपी में 68,000 रिटेल दुकानें चलती हैं। उत्तर प्रदेश फारमेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड फारमेसिस्ट की संख्या 22,000 है इसमें से 80 प्रतिशत लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं बाकी 5000-6000 लोग रह जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह अनिवार्यता समाप्त नहीं होगी, पूरे देश में फुटकर दवा बेचने वाले लोग क्या करेंगे? मैं अनिवार्यता समाप्त करने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मुल्क गुलाम था और 1940 में अधिनियम लाया गया था, तब कम्पाउंडर द्वारा मिक्सिंग का काम होता था इसलिए दवाएं फारमेसिस्ट की देखरेख में बेची जाती थी। आज दवाएं सील बोतल, सील पैंकिंग में दी जाती है और डॉक्टर द्वारा पर्ची पर लिखे पर बेची जाती है।

सभापति महोदय, अगर बीएसी करने के बाद कोई आदमी दवा की कंपनी में काम कर सकता है, दवा बना सकता है तो बेच क्यों नहीं सकता है? मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पूरे देश में खासकर उत्तर प्रदेश में 68,000 छोटे व्यापारियों की फारमेसिस्ट की अनिवार्यता को खत्म करके एक मानक तय किया जाए ताकि इनके साथ अन्याय न हो सके।

श्री पन्ना लाल पुनिया : मैं अपने आपको इस मामले के साथ संबद्ध करता हूं।